नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 04/10/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में 04/10/2022 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुबह 10:30 बजे आयोजित नोएडा एसईजेड अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री नितिन गुप्ता, उप. विकास आयुक्त, एनएसईजेड (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री सुनील त्रिपाठी, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक डीआईसी, नोएडा (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तरप्रदेशसरकार।)
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
5. सुश्री अंजलि मीणा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (ii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, (iv) सत्य विजय वर्मा, एईई, यूपीपीसीबी, नोएडा और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-

विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) 06/09/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

बताया गया कि दिनांक 06/09/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, 06/09/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) माया क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड- एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

2.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय दुबे प्रस्ताव को समझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने पाया कि एपीआर (APR) आंकड़े के अनुसार, मूल्य संवर्धन उपलब्धि निर्धारित मानदंडों से कम है। इसके अलावा, इकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण भी उनके एपीआर आंकड़े से मिलते नहीं हैं। श्री दुबे समिति को आंकड़ों में बेमेल होने का कारण नहीं बता सके। समिति ने बैठक में भाग लेने के लिए इकाई के प्रतिनिधि को बिना तैयारी और आकंड़ो की ना प्रस्तुति पर नाराजगी व्यक्त की।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और इस पर गंभीरता व्यक्त किया कि इकाई के प्रतिनिधि निर्धारित मानदंडों से कम मूल्यवर्धन प्राप्त करने के कारणों की व्याख्या करने में विफल रहे। समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को एपीआर (APR) आंकड़े में पांच साल के अंतिम ब्लॉक के दौरान उपलब्धि, सादा और जड़ित सोना आभूषण के अलग अलग मूल्यवर्धन का सही विवरण, प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। समिति ने इकाई के प्रवर्तक/निदेशक को आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद अगली बैठक में भाग लेने का भी निर्देश दिया।

(3) एमआर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 श्री रमेश वाधवा, निदेशक और श्री प्रदीप देबनाथ, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि एपीआर (APR) आंकड़े और एनएसडीएल

(NSDL) आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर है। श्री देबनाथ ने बताया कि वे अन्य एसईजेड (SEZ) इकाई अर्थात् मेसर्स ग्लोबल डेंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि सभी बिक्री लेनदेन एक ही एसईजेड (SEZ) के भीतर किए गए थे, उन्होंने कोई शिपिंग बिल दाखिल नहीं किया था जिसके कारण एनएसडीएल (SEZ) आंकड़े शून्य है । हालाँकि, अब उन्होंने **SEZonline** प्रणाली पर लेनदेन दर्ज करना शुरू कर दिया है।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अंतिम पांच साल का ब्लॉक अवधि के दौरान दायर एपीआर (APR) के समर्थन में, नियम 53ए के तहत की गई सभी आपूर्ति की चालान-वार एक्सेल सारांश शीट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ, प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने आगे इकाई को एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सभी एसईजेड (SEZ) लेनदेन को दाखिल करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने प्रशासनिक कार्यालय को सीमा शुल्क के परामर्श से मैसर्स एम आर यूटिलिटी और मैसर्स ग्लोबल डेंट एड्स के बीच एफओसी (FOC) आपूर्ति/मूल्य संवर्धन से संबंधित मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(4) जगत जेम्स एंड ज्वेलरी - एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 श्री शरबजीत सिंह चड्ढा, मालिक और श्री मानव ओबेरॉय, प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री चड्ढा ने बताया कि वे कोरोना लॉकडाउन के कारण एलओए (LOA) नवीनीकरण प्राप्त करने के तुरंत बाद निर्यात गतिविधि शुरू नहीं कर सके। हालांकि, अब उन्होंने निर्यात गतिविधि को फिर से शुरू कर दिया है और अनुमानित निर्यात से अधिक हासिल कर लिया है।

4.2 अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी में पाया कि इकाई ने 11/04/2022 से 12/08/2022 के दौरान 768.04 लाख रुपये का निर्यात किया है।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पूर्ण अधिकृत संचालन का उल्लेख करते हुए संशोधित / सही फॉर्म-एफ 1 प्रस्तुत करने के अधीन पांच साल की शेष अवधि के लिए 31/03/2025 तक एलओए (LOA) को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। इकाई सादे और जड़ित सोना आभूषणों के अलग मूल्यवर्धन हासिल करेगी।

(5) एक्वा प्लस ग्लोबल - एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

5.1 श्री विनय गुप्ता, भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत कार्यों में "एक्रिलिक शीट के व्यापार (39205119)" को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(6) ला मोडा एलिगेंज़ा - एलओए (LOA) की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 श्री शरद गुप्ता, भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री गुप्ता ने एपीआर (APR) और लीज रेंट समय पर जमा न करने पर खेद प्रकट करते हुए बताया कि यह उनके देश से बाहर होने के कारण हुआ। उन्होंने बकाया लीज रेंट और एपीआर (APR) तुरंत जमा कराने का आश्वासन दिया।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को पूरे बकाया पट्टा किराया जमा करने और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एपीआर (APR) तुरंत जमा करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया।

(7) यूयूडीएस मैग्नम एयरो प्राइवेट लिमिटेड - एलओए की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 श्री मनीष वार्ष्णेय और श्री डी वी खेड़ा, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि उन्होंने दिनांक 28/09/2022 को 6,93,743/- रुपये का पट्टा किराया जमा कर दिया है। श्री वार्ष्णेय ने आगे बताया कि वे अब इस इकाई को बंद करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में एक ईमेल भेजा है।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 के अनुसार एसईजेड (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने और शेष बकाया पट्टा किराए देने का निर्देश दिया।

(8) फ़ुट्रोनिक्स वर्ल्ड - एलओए की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी।

8.1 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई का एलओए (LOA) 08/08/2021 को समाप्त हो गया है और आगे नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, इकाई द्वारा वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए पट्टा किराया जमा नहीं किया जा रहा है और एपीआर (APR) भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, इकाई ने भी 2016-17 से कोई निर्यात नहीं किया है।

8.2 अनुमोदन समिति ने ईएम अनुभाग, एनएसईजेड (NSEZ) को इकाई के खिलाफ पीपी अधिनियम, 1971 के तहत सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे SEZonline प्रणाली पर इकाई के सभी मॉड्यूल को निलंबित करने का निर्देश दिया। समिति ने आगे विकास आयुक्त को फाइल पर मामले की समीक्षा करने का अधिकार दिया, क्योंकि एनएफई (NFE) नकारात्मक हैं और एपीआर (APR) जमा नहीं किया जा रहा है। अनुमोदन समिति ने यह आदेश दिया कि मामले में आगे निर्णय लेने से पहले इकाई को पीएच (PH) दिया जएगा।

(9) एसआई ओवरसीज ज्वैलर्स - प्रदर्शन की निगरानी।

9.1 इकाई के पार्टनर श्री शमसुद्दीन मोल्ला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई द्वारा लीज रेंट जमा नहीं किया जा रहा है और 2018-19 से आगे की अवधि के लिए एपीआर (APR) भी जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा, इकाई ने भी 2019-20 से कोई निर्यात नहीं किया है।

9.2 अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि आयातित माल की गलत घोषणा के मामले में इकाई को दिनांक 26/05/2020 को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, इकाई ने उक्त नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

9.3 श्री मोल्ला ने बताया कि वह इस महीने के भीतर पूरा लीज रेंट जमा कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह निर्यात गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और आश्वासन दिया कि सीमा शुल्क मामले में उनके द्वारा दायर की गई अपील की प्रति प्रदान करेंगे।

9.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आयात, डीटीए (DTA) खरीद, डीटीए बिक्री, इंट्रा एसईजेड स्थानांतरण, इंट्रा एसईजेड खरीद और डीम्ड निर्यात को तत्काल रोकने का फैसला किया और इकाई को निम्नलिखित का तुरंत अनुपालन करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को भी स्थगित कर दिया:

(i) प्लॉट संख्या 159, एनएसईजेड के संबंध में 31/10/2022 तक इकाई के विरुद्ध बकाया संपूर्ण पट्टा किराया जमा करें।

(ii) 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए लंबित एपीआर (APR) तुरंत जमा करें।

(iii) नोटिस दिनांक 26/05/2022 (उक्त नोटिस दिनांक 26/05/2022 की एक प्रति बैठक के दौरान श्री शम्सुद्दीन मोल्ला को भी प्रदान की गई) का जवाब दायर की गई अपील की प्रति के साथ, यदि कोई हो, सीमा शुल्क मामले के विरुद्ध जमा करें।

(10) एमएमटीसी (MMTC) लिमिटेड - एलओए (LOA) की समीक्षा और एसईजेड योजना से बाहर निकलना।

10.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने नोट किया कि हाल ही में वाणिज्य विभाग ने जीजेईपीसी (GJEPC) के एक अभ्यावेदन को अग्रेषित किया था जिसमें यह सूचित किया गया था कि एमएमटीसी (MMTC) ने निर्यातकों को कीमती धातुओं की आपूर्ति बंद कर दी है जिससे छोटे निर्यातकों के लिए कीमती धातुओं की आपूर्ति कम हो गई है क्योंकि एमएमटीसी की अखिल भारतीय उपस्थिति थी और वह निर्यातक को पूरे भारत में सोने/चांदी की आपूर्ति कर रही थी। जीजेईपीसी ने वाणिज्य मंत्रालय (MOC) से एमएमटीसी को एसईजेडएस (SEZs) और डीटीए (DTA) में नामित संस्था के अपने कार्य का निर्वहन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है।

10.2 अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि एमएमटीसी (MMTC) को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 2(टी) के अनुसार नामित संस्था के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा, एनएसईजेड (NSEZ) और जयपुर एसईजेड (SEZ) में कई रत्न और आभूषण इकाइयां भी नामित संस्थावो से इनपुट कीमती धातुओं की अनुपलब्धता पर शिकायत कर रही हैं। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि एसईजेड नियम आरबीआई (RBI) द्वारा अधिकृत किसी अन्य संस्था के साथ केवल चार विशिष्ट नामित संस्थावो (एमएमटीसी, एचएचईपीसी, एसटीसी, पीईसी) को सूचीबद्ध करता है, जबकि एफ़टीपी (FTP) में छह नामित संस्थावो की सूची है। इसके अलावा, FTP (परिशिष्ट 4B) में 36 बैंकों की भी सूची है, जिनमें से एक शाखा एसईईपीजेड एसईजेड (SEEPZ SEZ) में भी है। इन बैंकों को इनपुट कीमती धातुओं की आपूर्ति के लिए नामित संस्थावो के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।

10.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आरबीआई (RBI) द्वारा ऐसे लेनदेन/आपूर्ति के लिए अधिसूचित बैंकों सहित एसईजेड (SEZ) इकाइयों को कीमती धातुओं की आपूर्ति के लिए नामित संस्थावो पर अधिक स्पष्टता के लिए वाणिज्य विभाग को एक संदर्भ बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, समिति ने यह भी निर्देश दिया कि एनएसईजेड के अधिकार क्षेत्र सहित सभी एसईजेड में एमएमटीसी (MMTC) के बाहर निकलने के लिए लिए गए निर्णय पर वाणिज्य विभाग से स्पष्टता मांगी जाए। इस स्पष्टता के आधार पर, कार्यालय बाहर निकलने की प्रक्रिया करेगा।

(11) बुलेट इंटरनेशनल - प्लॉट नं 187,188,189, एनएसईजेड में मेसर्स जीएसआर (GSR) इंडस्ट्रीज को भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों का निकास और हस्तांतरण।

11.1 श्री राजदीप सिंह पार्टनर और श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री सिन्हा ने बताया कि आयकर का मामला आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमत रिफंड से संबंधित है। उन्होंने आगे बताया कि सीआईटी (ए) ने आयकर विभाग के खिलाफ उनकी अपील की अनुमति दी है जिसके कारण आयकर की कोई मांग नहीं है।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि मेसर्स बुलेट इंटरनेशनल एसईजेड नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा करता है। समिति ने मैसर्स जीएसआर (GSR) इंडस्ट्रीज को प्लॉट संख्या 187,188,189, एनएसईजेड में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया, बशर्ते कि (i) निकास औपचारिकताओं को पूरा किया जाए (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान (iii)) अंतरिती द्वारा अंतरणकर्ता की आस्तियों और देनदारियों को लेने के संबंध में एक वचनपत्र प्रस्तुत करना। इकाई को आयकर विभाग की कोई देयता नहीं होने के बारे में पत्र पर एक वचन पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। और बुलेट इंटरनेशनल से मेसर्स जीएसआर (GSR) इंडस्ट्रीज के नाम पर बिजली कनेक्शन के हस्तांतरण के संबंध में यूपीपीसीएल (UPPCL) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इकाई नवीनतम भुगतान बिल की प्रति भी प्रस्तुत करेगी या बुलेट इंटरनेशनल के बिजली कनेक्शन के स्थायी डिस्कनेक्ट के बाद यूपीपीसीएल (UPPCL) से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करेगी।

(12) जीएसआर इंडस्ट्रीज - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

12.1 श्री राजदीप सिंह, पार्टनर और श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

12.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत संचालन / उत्पादन क्षमता के लिए पांच साल के वर्तमान ब्लॉक की शेष अवधि 15/07/2026 तक इकाई के एलओए (LOA) को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने भागीदारों और लाभ/हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन पर भी ध्यान दिया और भविष्य में एसईजेड नियम/अधिनियम का समय पर अनुपालन करने के लिए इकाई को चेतावनी दी। समिति ने इकाई के प्रदर्शन की भी निगरानी की और 31.03.2020 को इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) की उपलब्धि पर ध्यान दिया। इसके अलावा समिति द्वारा इकाई को 2020-21 और 2021-22 के लिए अपनी लंबित एपीआर (APR) तुरंत दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया । समिति ने निर्देश दिया कि उपरोक्त अनुमोदन इकाई द्वारा लंबित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(13) मार्केट मूवर्स एंड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी।

13.1 श्री विवेक चंद्र, एमडी, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

13.2 अनुमोदन समिति ने दूसरे और तीसरे ब्लॉक अवधि यानी 31/01/2014-30/01/2019 & 31/01/2019-30/01/2024 के लिए एसईजेड (SEZ) नियम 54 के संदर्भ में इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की, जो कि 2022-23 तक जमा किए गए एपीआर (APR) के आधार पर है, और उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उल्लेखनीय उपलब्धि नोट किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि एपीआर (APR) के अनुसार कोई भी निर्यात आय प्राप्ति लंबित नहीं है।

13.3 अनुमोदन समिति ने आगे इकाई को 100 रुपये के अनुप्रमाणित कागज़ मोहर पर एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें उन सभी दस्तावेजों की सूची दी जाएगी, जिनके बारे में इकाई अपने कारखाने में कृन्तकों द्वारा एनएसईजेड में खो जाने/नष्ट होने का दावा किया है और नुकसान/किसी भी दुरुपयोग के खिलाफ ऐसे दस्तावेज़ की एनएसईजेड अधिकारियों को क्षतिपूर्ति किया है। समिति ने इकाई को एनएसईजेड पते को हटाने के बाद संशोधित आईईसी (IEC) की प्रति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड को इकाई से उक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर फाइल पर अंतिम निकास के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(14) नोवो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

4.1 श्री विनय अग्रवाल और श्री दीपक सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने देखा कि मैनुअल फॉर्म-एफ। में इकाई ने अधिकृत संचालन के सही आईटीसी (एचएस) कोड का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा, ऑनलाइन फॉर्म-एफ 1 में सभी विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

14.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पादों का उल्लेख करते हुए संशोधित फॉर्म-एफ 1 प्रस्तुत करने और एचएस 2022 नामकरण में सही आईटीसी (एचएस) कोड/लंबित दस्तावेजों /APR जमा करने के अधीन प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए 26/12/2023 तक एलओए (LOA) के नवीनीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी

(15) यूनिपर्म इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड - एलओए की समीक्षा और एसईजेड योजना से बाहर निकलें।

15.1 श्री काली चरण शर्मा, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने पट्टा किराया जमा नहीं किया है और आज तक कोई एपीआर (APR) भी जमा नहीं किया है। श्री शर्मा ने आश्वासन दिया कि वे पूरा लीज रेंट जमा करेंगे और एपीआर भी तत्काल जमा करेंगे।

15.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के खिलाफ बकाया पूरा पट्टा किराया जमा करने और तुरंत एपीआर (APR) जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे परियोजना अनुभाग को इकाई द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन पर बाहर निकलने से संबंधित मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(16) पन्ना ज्वैलरी - (i) परिसंपत्तियों और देनदारियों के बाहर निकलने और हस्तांतरण से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एलओए के विस्तार के लिए अनुरोध और (ii) सेज नियमों के नियम 74(3) के प्रावधानों में छूट, निकास औपचारिकताओं को पूरा करना।

16.1 श्री निखिल जैन, भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री जैन ने बताया कि उन्हें कच्चा माल, सोना, चांदी और अर्ध-कीमती पत्थरों को बाहर निकालने में समस्या हो रही है क्योंकि कोई भी नामित संस्था सोना, चांदी और अर्ध-कीमती पत्थरों को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जो उनके पास स्टॉक में हैं और ऐसे समय तक स्टॉक एक नामित संस्था द्वारा खरीदा जाता है, वे एसईजेड योजना से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्टॉक में सभी कच्चे माल शुल्क का भुगतान किया जाता है क्योंकि इसे डीटीए (DTA) से खरीदा गया था और कोई शुल्क वापसी या कोई अन्य प्रोत्साहन नहीं लिया गया था।

16.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि एसईजेड नियम आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी अन्य संस्था के साथ केवल चार विशिष्ट नामित संस्थावों (एमएमटीसी, एचएचईपीसी, एसटीसी, पीईसी) को सूचीबद्ध करता है, जबकि एफटीपी (FTP) में छह नामित संस्थावों की सूची है। इसके अलावा, FTP (परिशिष्ट 4B) में 36 बैंकों की भी सूची है, जिनमें से एक शाखा एसईईपीजेड एसईजेड (SEEPZ SEZ) में भी है। इन बैंकों को इनपुट कीमती धातुओं की आपूर्ति के लिए नामित संस्थावों के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।

16.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद,

(i) इकाई को सलाह दी कि वे अपने कच्चे माल को बेचने के लिए एसईजेड नियम 2 (टी) के अनुसार अन्य नामित संस्थावों और बैंकों से संपर्क करें;

(ii) एसईजेड नियमों के नियम 74(3) के सेक्टर विशिष्ट प्रावधान के अनुसार नामित संस्था को स्टॉक में अपनी कीमती सामग्री बेचने में इकाई द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रभाग, एनएसईजेड को वाणिज्य विभाग को एक संदर्भ बनाने का निर्देश दिया।

अनुमोदन समिति ने विशेष रूप से निकास औपचारिकताओं के अनुपालन के लिए एलओए (LOA) की वैधता को 31/12/2022 तक बढ़ा दिया। समिति ने निर्णय लिया कि अधिकृत संचालन के अनुसार शेष कच्चे माल से बने आभूषणों के केवल वास्तविक निर्यात को एलओए (LOA) के नियमों और शर्तों के अधीन इकाई को अनुमति दी जाएगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

नितिन

(नितिन गुप्ता)

उप. विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त